FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम SDO बायतु

चाई वगैरे बनाम हेमनाथ वगैरा

किस्म मुकदमा राज आवेदन नं. 212/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/07/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/08/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 23/11/2021 को पेश हो। [initials]	
23/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी [illegible]। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन [illegible] संग अभियान-2021 [illegible] मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 15/12/2021 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 14

15/12/2021

पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान - 2021 कैम्प ग्राम पंचायत भोजासर में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगण के खातेदारी खेत सेढ सेढ आये हुए है। खेतो के मध्य जो पुरानी माटे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेतो की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु मेखमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का मेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थर मेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने [illegible] हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested

(SDO)

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1472 दिनांक : 15/12/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धाईदेवी पत्नि खेतसिंह वगैरा जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. हेमनाथ पुत्र रूगनाथ वगैरा जाति स्वामी निवासी पांचा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 212/21

आदेश

मौजा पांचा की ढाणी पटवार हल्का हीरा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 440/398 रकबा 6.4750 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1472 to 1477 दिनांक : 15/12/21

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का हीरा की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी धाईदेवी वगैरा।
4. विप्रार्थीगण हेमनाथ वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु